संख्या-8/1-ई.एम./2013-का-4-2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 11 नवम्बर, 2013

विषय:-कतिपय सेवा संघों (महासंघ/परिसंघ/संघ) द्वारा दिनांक 12.11.2013 से अनिश्चतकालीन हड़ताल की नोटिस दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

कपिय सेवा संघों (महासंघ/परिसंघ/संघ) द्वारा दिनांक 12.11.2013 से अनिश्चतकालीन हड़ताल की नोटिस दी गयी है। इस संबंध में निम्न नियमों/प्राविधानों/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है-

(i) उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1997 के नियम-4(ढ) में यह प्राविधानित है कि सेवा संघ सामान्य और सुचारू रूप से सरकारी कार्य संचालन में बाधा डालने या अवरोध उत्पन्न करने की दृष्टि से अपने सदस्यों को हड़ताल करने या धीरे काम करने या कोई अन्य तरीका अपनाने के लिए न प्रेरित करेगा, न उकसायेगा, न उत्तेजित करेगा और न किसी प्रकार की सहायता/सहयोग देगा। धरना/प्रदर्शन/हड़ताल में सहभागिता की स्थिति में संबंधित कर्मी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।

(ii) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम-5-ए(2) में यह प्राविधानित है कि कोई सरकारी सेवक अपने किसी सेवा संबंधी प्रकरण अथवा किसी अन्य के सेवा संबंधी प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की आन्दोलनात्मक कार्यवाही अथवा हड़ताल नहीं करेगा।

2. उपर्युक्त प्रस्तर में अंकित नियमों/प्राविधानों से अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/कर्मियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

3. उपर्युक्त नियमों/प्राविधानों के बावजूद कर्मचारी संगठनों/कर्मियों के द्वारा हड़ताल, कार्य बहिष्कार, सरकारी कार्यों में अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाये।

(i) धरना/प्रदर्शन, हड़ताल में भाग लेने वाले कार्मिकों को 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत के आधार पर हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान न किया जाय।

(ii) आन्दोलन आदि के उद्देश्य से अवकाश मांगने वाले कार्मिकों का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।

(iii) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा अनुपस्थिति अवधि को 'सेवा में व्यवधान' माना जाय।

http://Shasanadesh.up.nic.in

राज्य कर्मी कार्यालय में उपस्थित रहें, इसके लिये सुनिश्चित किया जायेगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्वान्ह, अपरान्ह तथा कार्यालय अवधि समाप्त होने के 10 मिनट पूर्व उपस्थिति पंजिका मंगाकर इस तथ्य की जांच की जाये कि ऐसे कर्मी, जो पूर्वान्ह में उपस्थित हुए, वे कार्यालय अवधि तक अवश्य कार्य करें। कार्य का बहिष्कार कर रहे कर्मियों का चिन्हांकन करते हुए विधि विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

(iv) धरना/प्रदर्शन/जुलूस/रैली/हड़ताल आदि में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, जिनसे शांति-व्यवस्था भंग होती है, उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए, कार्यवाही की जाय।

(v) सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति को हानि पहुंचाने, तोड़-फोड़ करने तथा हिंसा में लिप्त होने वाले कार्मिकों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(vi) कार्यालय आने वाले कार्मिकों को संरक्षण प्रदान किया जाय तथा व्यवधान डालने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4. हड़ताल/कार्य बहिष्कार के दौरान अपने विभाग से संबंधित अत्यावश्यक सुविधायें बनाये रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। यह भी उपयुक्त होगा कि अपने स्तर से तथा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करते हुए उन्हें हड़ताल/कार्य बहिष्कार में भाग न लेने के लिए प्रेरित किया जाये तथा राज्य सरकार द्वारा पिछले डेढ़ वर्षों में राज्य कर्मचारियों के हितार्थ जो कार्य किये गये हैं (जो इस पत्र के साथ संलग्न हैं), उनकी जानकारी दी जाये।

5. संक्षेप में मैं यह अपेक्षा करता हूं कि समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण अपनी नेतृत्व क्षमता का इस दौरान प्रदर्शन करें तथा कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे प्रदेश के विकास में सहयोगी/सहायक बनें। ऐसे कर्मी जो कानून-तोड़ते हैं उनके विरूद्ध कानून के अनुसार विधिक कार्यवाही करने में न हिचका जाये।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या-1-ई.एम./2013(1)-का-4-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in

15 मार्च, 2012 के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के हितार्थ लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय एवं अग्रेतर कार्यवाहियां जो की जा रही हैं

(1) स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश दिनांक 18.4.2013 में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण, संगठन में पद धारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जाने के प्राविधान हैं।

(2) समस्त राज्य कर्मचारियों (सेवानिवृत्त को सम्मिलित करते हुए) को परिचय पत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 25.7.2013 को शासनादेश निर्गत किया गया है।

(3) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर आवेदन करने हेतु राज्य कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने हेतु दिनांक 27.8.2013 को शासनादेश निर्गत किया गया है। उक्त व्यवस्था से सामान्य श्रेणी के राज्य कर्मचारी 45 वर्ष की आयु तक राज्याधीन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(4) दिनांक 15 मार्च, 2012 के पूर्व से अवरूद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया, जिससे विभिन्न विभागों में अत्यधिक कर्मियों को पदोन्नति का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है।

(5) प्रदेश सरकार पदोन्नति की दिशा में आने वाली वाजिब कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी सतत् प्रयासरत् है, जिससे कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा रहे। विभिन्न संवर्गों, विशेष रूप से लिपिकीय संवर्गों की पदोन्नतियां, अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने के कारण अथवा परिवीक्षा अवधि पूर्ण न होने के कारण बहुधा बाधित रहती हैं, ऐसे अवरोधों को दूर करने पर सक्रियता से विचार करते हुए, कार्मिक विभाग द्वारा अधिभावी प्रभाव रखने वाली नियमावली का प्रख्यापन किया जाना प्रस्तावित है।

(6) राज्य कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के भत्ते, जिनमें पिछले कई वर्षों से वृद्धि नहीं की गयी थी, में वृद्धि करते हुए, उन्हें दोगुना कर दिया गया है।

(7) विभिन्न पदों पर परिवीक्षा अवधि की अनिवार्यता समाप्त करने पर भी सक्रियता से विचार किया जा रहा है। इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

(8) मृतक आश्रितों को समूह 'ग' के पद पर नियुक्ति प्रदान करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमावली में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

(9) राज्य कर्मचारियों को विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभ बिना विलम्ब के प्राप्त हों, इसके लिए अधिभावी प्रभाव रखने वाली सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(10) राज्य सरकार अपने कार्मिकों को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, इस संबंध में संबंधित नियमावली में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं।

(11) विभिन्न अभियंत्रण विभागों जैसे-लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आदि में अवर अभियन्ताओं के पदों पर नियमित रूप से भर्ती होती रहे, इसके लिए प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(12) राजस्व विभाग द्वारा सामयिक संग्रह अमीनों एवं सामयिक संग्रह अनुसेवकों के समायोजन के संबंध में सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

http://Shasanadesh.up.nic.in

(13) पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम स्तरीय सफाई कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इससे इन कर्मचारियों को सेवा से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

(14) लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा अन्य अभियंत्रण विभागों में अवर अभियन्ताओं की समय से पदोन्नति सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग तथा संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

(15) उपर्युक्त के अतिरिक्त अनेक सेवा संबंधी लाभ प्रदान किये जाने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

http://Shasanadesh.up.nic.in